

सुलभ संगणक (Ready Reckoner)



बिहार कौशल विकास मिशन

भर्ती-प्रशिक्षण - तैनाती योजना
Recruit-Train-Deploy (R-T-D)



श्रम संसाधन विभाग
नियोजन भवन, बेली रोड, पटना

ई-मेल: biharskilldevelopmentmission@gmail.com

विषय सूची

प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा.....	2
प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यता.....	2
उपलब्ध कोर्स.....	2
प्रशिक्षण की अवधि.....	2
प्लेसमेंट : परिभाषा.....	2
प्लेसमेंट अधिदेश (Placement Mandate).....	3
पोस्ट ट्रेनिंग / प्लेसमेंट ट्रेकिंग अधिदेश (Post Training / Placement tracking mandate).....	3
मूल्यांकन एवं प्रमाणन	4
प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन.....	4
प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन शुल्क.....	5
प्रशिक्षण केन्द्रों का पंजीयन एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क	5
पंजीकृत केन्द्रों से कोर्स पंजीयन शुल्क	5
पोर्टल उपयोग शुल्क	5
रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट.....	6
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers - ToT)	6
प्रशिक्षण शुल्क राशि (दर)	6
प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान – अंतिम रूप से केवल प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के लिये ही देय होगा।.....	6
ट्रेनिंग कैलेण्डर.....	7
बैच साईज	7
पठन-पाठन सामग्री का वितरण.....	7
प्रशिक्षण केन्द्रों की ग्रेडिंग (Grading of Training Centers).....	7
यूनिफॉर्म	8
भोजन एवं आवास	8
स्टाइपेण्ड (Stipend)	8
एकमुश्त परिवहन लागत (One Time Transportation Cost).....	9
कैरियर प्रोग्रेशन शुल्क (Career Progression Fees).....	9
विदेशों में प्लेसड उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा जांच सहित परामर्श सहायता.....	9
प्लेसमेंट इन्सेन्टिव (Placement Incentive)	9
पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट (Post Placement Support).....	9
मूल्यांकन एवं प्रमाणन का दर	10

भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती योजना

प्रायः ऐसा देखा जा रहा था कि कम्पनियाँ अभ्यर्थियों के चयन के बाद पुनः अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण देकर ही नियोजित करते थे, जिससे समय एवं अर्थ का अपव्यय होता था, इसी दृष्टिपथ में बिहार सरकार द्वारा एक नवीन पहल प्रारंभ की गई जिसमें प्रशिक्षणकार्य की जिम्मेदारी स्वयं उद्योगों पर होगा जो कि स्वयं के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार बनाए गए प्रशिक्षण मानदण्डों पर आधारित प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाएगा।

इस कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियम इस प्रकार है-

प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा

15 से 45 वर्ष।

प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यता

- पाठ्यक्रम की आवश्यकता या योजना विशिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार।
- कुछ गंभीर रूप से वंचित समूहों या कुछ विशिष्ट लक्ष्य समूहों / विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए, बीएसडीएम द्वारा आवश्यक समझे जाने पर या राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।

उपलब्ध कोर्स

- सेक्टर स्किल काउंसिल से अनुमोदित पाठ्यक्रम या इण्डस्ट्री पार्टनर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम।

प्रशिक्षण की अवधि

- न्यूनतम 200 घंटे : यद्यपि बिहार कौशल विकास मिशन की अनुमति से प्रशिक्षण की अवधि इण्डस्ट्री पार्टनर/प्लेसमेंट एजेन्सी / ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा प्रस्तावित निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 200 घंटे से कम भी हो सकती है।

प्लेसमेंट : परिभाषा

- मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षणार्थी का प्लेसमेंट करना होगा।
- प्लेसमेंट की परिभाषा का मतलब नियोजित उम्मीदवार प्रस्तावित नौकरी को ज्वाइन कर लिया हो और कम से कम अगले 3 महीनों तक रोजगार में हो।
- प्लेसमेंट वेतन रोजगार या स्वरोजगार के रूप में हो सकता है।

वेतन रोजगार -

- प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ऐसे नौकरी में रखा जाना जो कम से कम नौकरी वाले राज्य में निर्धारित न्यूनतम वेतन के बराबर हो एवं
- उम्मीदवारों को उसी या किसी अन्य नियोक्ता के साथ, (समान या उच्च वेतन स्तर पर) नियुक्ति की तारीख से कम से कम तीन महीने की अवधि तक नौकरी में बने रहना होगा।

स्व-रोजगार –

- उम्मीदवार आजीविका बढ़ाने वाले व्यवसायों में अपने आप को नियोजित किये हों जिसके लिये सबूत के तौर पर व्यापार का लाईसेन्स प्राप्त करना या उद्यम की स्थापना करना या एक निर्माता समूह का सदस्य बनना या अतिरिक्त कमाई का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट) या बीएसडीएम/संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोई अन्य उपयुक्त और सत्यापन योग्य दस्तावेज उपलब्ध किये जाने चाहिए।

प्लेसमेंट अधिदेश (Placement Mandate)

- न्यूनतम 80 प्रतिशत (एक बैच के कुल प्रमाणित उम्मीदवारों में से), वेतन रोजगार या स्वरोजगार होना चाहिए।
- सेवा शर्तों के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को पहले से, यानी भर्ती के समय ही सूचित किया जाना होगा। शर्तों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए–
 - सैलरी पैकेज
 - सीटीसी
 - कैंश इन हैण्ड
 - अन्य लाभ
 - कार्य का कुल समय
 - नौकरी का स्थान
 - कार्य भूमिका
 - अन्य सुविधाएं

पोस्ट ट्रेनिंग/प्लेसमेंट ट्रेकिंग अधिदेश (Post Training / Placement tracking mandate)

- मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 महीने के भीतर सभी प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों को बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से Placed / Unplaced दर्शाना होगा।
- पुनर्मूल्यांकन (यदि कोई हो) को प्रथम किये गये मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के भीतर या बीएसडीएम द्वारा दिये गये अनुमति के अनुसार, पूरा किया जाना होगा।

प्लेसड अभ्यर्थियों के लिये

- 1 वर्ष के रोजगार की ट्रेकिंग जिसमें कम से कम 6 माह का वेतन स्लिप/ बैंक स्टेटमेंट/ स्वघोषणा (स्वरोजगार की स्थिति में)/मासिक वेतन की स्वघोषणा (अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजन की स्थिति में) बीएसडीएम पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- अन्य संबंधित विवरण जिसे बीएसडीएम पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
 - वेतन रोजगार की स्थिति में –
 - नियोजन का दिनांक
 - नाम, पता, सेक्टर एवं नियेक्ता संस्था/कंपनी का संपर्क विवरण
 - रोजगार का स्थान (शहर, जिला, राज्य)
 - वेतन
 - पदनाम
 - अभ्यर्थी का वर्तमान फोन नंबर

- प्रस्तुत जानकारी के सही होने के संबंध में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का घोषणा पत्र।
 - ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी / अनुबंध की प्रति / सेलरी स्लिप / अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी का स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- **स्व-रोजगार की स्थिति में –**
- सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का दिनांक
 - नाम, पता, सेक्टर एवं उद्यम का संपर्क विवरण – अनिवार्य नहीं
 - मासिक आय
 - अभ्यर्थी का वर्तमान फोन नंबर
 - प्रस्तुत जानकारी के सही होने के संबंध में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का घोषणा पत्र।
 - उद्यम पंजीयन की सॉफ्ट कॉपी / बैंक लोन डॉक्यूमेंट / बैंक स्टेटमेंट / स्व-रोजगार की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी का स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

मूल्यांकन एवं प्रमाणन

मूल्यांकन

- ऐसे प्रशिक्षणार्थी मूल्यांकन के लिये पात्र हैं जिन्होंने बैच अवधि की 80 प्रतिशत उपस्थिति के मूल्यांकन पात्रता मानदंड को पूरा किया है।
 - QP / NOS आधारित कोर्स – SSC's द्वारा नियुक्त मूल्यांकन एजेन्सी।
 - इण्डस्ट्री / प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा निर्धारित कोर्स – स्वयं

प्रमाणन

- QP / NOS आधारित कोर्सेस – SSC's
- इण्डस्ट्री / प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा निर्धारित कोर्स – इनके एवं बीएसडीएम द्वारा संयुक्त रूप से।

प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन

- निविदा आधारित निरंतर इम्पैनलमेंट के माध्यम से। यह निविदा प्रक्रिया तब तक निरंतर चालू रहेगी जब तक बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा इस निरंतर निविदा को वापस न ले लिया जाये।
- चयन के पश्चात् केन्द्रों को बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर पंजीकरण करना।
- पंजीकरण की प्रक्रिया –
 - बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा केन्द्रों का लॉग-इन आईडी0 एवं पासवर्ड जनरेट कर देना।
 - केन्द्रों द्वारा संस्था का वर्णन, आवश्यक दस्तावेज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स आदि पोर्टल पर दर्ज करना।
 - बिहार कौशल विकास मिशन के जिला इकाई द्वारा इनका निरीक्षण एवं सत्यापन एवं राज्य इकाई को केन्द्र के अनुमोदन हेतु अनुशंसा।
 - राज्य इकाई द्वारा पोर्टल पर दर्ज विवरणियों का निरीक्षण एवं सत्यापन तथा केन्द्र के अनुमोदन हेतु अनुशंसा।

- केन्द्रों के अंतिम अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का आदेश।

प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन शुल्क

- गैर वापसी पंजीयन शुल्क रू. 1000 प्रति केन्द्र (बीएसडीएम द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित), प्रत्येक आवेदक से डेस्क अप्रैजल एवं ड्यू डिलिजेंस हेतु लिये जायेंगे।
- हालाँकि, बीएसडीएम इस संबंध में कुछ संस्थाओं/कुछ प्रकार के केंद्रों/कुछ योजनाओं को आम तौर पर या विशेष रूप से आवश्यक समझे जाने पर किसी विशिष्ट को, इस शुल्क को बढ़ाकर या घटाकर या इसमें छूट देने का निर्णय ले सकता है।

प्रशिक्षण केन्द्रों का पंजीयन एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क

- प्रत्येक चयनित केन्द्रों को रू. 4000 (बीएसडीएम द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) केन्द्र पंजीयन शुल्क के तौर पर देना होगा।
- संतोषप्रद प्रदर्शन की स्थिति में केन्द्र पंजीयन का वार्षिक नवीनीकरण होगा।
- प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को रू. 2000 (बीएसडीएम द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के तौर पर देना होगा।
- वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी जिसमें सभी केन्द्रों को नवीनीकरण हेतु एक ऑनलाईन अण्डरटेकिंग (वचन पत्र) देना होगा।
- प्रारंभिक पंजीकरण या उसके बाद कोई भी नवीनीकरण केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत तक ही वैध होगा, जिसमें केंद्र पंजीकृत/नवीनीकृत होता है या अन्यथा बीएसडीएम द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जैसा सूचित किया जाता है, जिसके बाद केंद्र के पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता कानूनी या अन्य सभी उद्देश्यों के लिए स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

पंजीकृत केन्द्रों से कोर्स पंजीयन शुल्क

- प्रत्येक पंजीकृत कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को प्रति कोर्स रू. 1000, (बीएसडीएम द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) कोर्स पंजीयन शुल्क के तौर पर देना होगा।
- संतोषप्रद प्रदर्शन की स्थिति में कोर्स पंजीयन का वार्षिक नवीनीकरण होगा।
- प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को प्रति कोर्स रू. 1000 (बीएसडीएम द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) कोर्स के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के तौर पर देना होगा।
- वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी।
- प्रारंभिक पंजीकरण या उसके बाद कोई भी नवीनीकरण केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत तक ही वैध होगा, जिसमें कोर्स पंजीकृत/नवीनीकृत होता है या अन्यथा बीएसडीएम द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जैसा सूचित किया जाता है, जिसके बाद कोर्स के पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता कानूनी या अन्य सभी उद्देश्यों के लिए स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

पोर्टल उपयोग शुल्क

- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कोर्स प्रति घंटे रू. 0.50 प्रशिक्षण केन्द्रों को देय राशि में से कटौती की जायेगी।

रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट

- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रु. 1000 रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट के तौर पर देना होगा।
- केन्द्र संचालकों के द्वारा प्रत्येक बैच के प्रारंभ से पूर्व, रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट प्रशिक्षणार्थियों से एकत्र कर, पोर्टल पर वॉलेट के माध्यम से बीएसडीएम को देना होगा।
- सिक्यूरिटी जमा राशि केवल सर्टिफाइड प्रशिक्षणार्थियों को ही वापस की जायेगी।
- सिक्यूरिटी जमा राशि बीएसडीएम द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रशिक्षणार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
- असफल भुगतान, यदि कोई हो तो, को प्रशिक्षणार्थियों के आधार लिंकड बैंक खाते में वापस की जायेगी।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers - ToT)

- इण्डस्ट्री द्वारा यदि सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाया जाता है तो सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा नामित टीओटी एजेंसी, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- प्रशिक्षण केन्द्र संचालक सभी प्रशिक्षकों के टीओटी शुल्क, टीओटी केंद्र तक आने-जाने की व्यवस्था स्वयं वहन करेंगे।
- सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा निर्धारित क्यूपी/एनओएस पाठ्यक्रमों के लिए टीओटी को संबंधित एसएससी द्वारा संचालित किया जाएगा और प्रशिक्षण भागीदार/प्रशिक्षण केंद्र संबंधित एसएससी टीओटी कार्यक्रम के तहत अपने प्रशिक्षक के टीओटी को अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- बीएसडीएम भी आवश्यकता पड़ने पर टीओटी कार्यक्रमों की व्यवस्था और वित्तपोषण कर सकता है।

प्रशिक्षण शुल्क राशि (दर)

- कटेगरी 1 : प्रति उम्मीदवार, प्रति कोर्स, प्रति घंटे रु. 49.0
 - कटेगरी 2 : प्रति उम्मीदवार, प्रति कोर्स, प्रति घंटे रु. 42.0
 - कटेगरी 3 : प्रति उम्मीदवार, प्रति कोर्स, प्रति घंटे रु. 35.1
 - उपरोक्त प्रशिक्षण शुल्क में से प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कोर्स प्रति घंटे रु. 0.50 पोर्टल उपयोग शुल्क के तौर पर, प्रशिक्षण केन्द्रों को देय राशि में से कटौती की जायेगी।
 - प्रशिक्षण शुल्क केवल प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध ही देय होगा।
 - बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण शुल्क की बढ़ोतरी की जायेगी।
- नोट : रिक्रूट – ट्रेन – डिप्लॉय (आर-टी-डी) मॉडल परियोजनाओं के लिए उद्योग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, यदि मौजूदा पाठ्यक्रम की पेशकश सूची में नहीं हैं, तो उनकी पूंजी गहनता और मौजूदा पाठ्यक्रम वर्गीकरण के साथ उनकी समानता के आधार पर उपरोक्त तीन श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान – अंतिम रूप से केवल प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के लिये ही देय होगा।

- प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत – पाठ्यक्रम की एक तिहाई अवधि पूरी होने पर या 1 महीना, जो भी बाद में हो, पाठ्यक्रम की अवधि के एक तिहाई के बराबर उपस्थिति (कम से कम 80 प्रतिशत) वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए।

- प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत – बीएसडीएम अधिकृत मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसी द्वारा अंतिम मूल्यांकन पास करने पर – केवल प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए, मूल्यांकन में उत्तीर्ण नहीं होने वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्व में दिये गये 30 प्रतिशत के समायोजन के बाद।
- प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत – बैच के प्रमाणित उम्मीदवारों में से न्यूनतम 80 प्रतिशत के प्लेस्ड होने पर सभी प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए।
- प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत – यह राशि 12 महीने की ट्रेकिंग पूरी होने और अनुपालन के बाद केवल वैसे प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए देय होगी जिनके लिए ट्रेकिंग पूरी हो चुकी है।

ट्रेनिंग कैलेण्डर

- किसी भी प्रशिक्षण बैच की शुरुआत माह के 1 या 15 तारीख को या योजना विशेष में वर्णित अथवा बीएसडीएम के निर्देशों के अनुसार होगी। यदि इन तारीखों में कोई भी छुट्टी होती है तो बैच प्रारंभ की तिथि आगामी कार्यादिवस होगी।

बैच साईज

- न्यूनतम 20 प्रशिक्षणार्थी प्रति बैच।
- न्यूनतम बैच साईज को बीएसडीएम द्वारा भविष्य में या तो आम तौर पर या विशेष रूप से संशोधित किया जा सकता है।

पठन-पाठन सामग्री का वितरण

- कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को किसी भी बैच को प्रारंभ करने से पूर्व कोर्स सामग्री (किताब) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को उपलब्ध कराना होगा।

प्रशिक्षण केन्द्रों की ग्रेडिंग (Grading of Training Centers)

- संबंधित फंडिंग इकाई/फंडिंग विभाग निम्नांकित ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रों को अतिरिक्त कार्य आवंटन या उनके साथ किये गये पूर्व के समझौते को नवीनीकृत करेगा—
 - यदि लक्ष्य आवंटन अवधि में कुल प्रमाणित उम्मीदवारों में से 75 प्रतिशत से अधिक प्लेस्ड होते हैं तो – ग्रेड 'ए'
 - यदि लक्ष्य आवंटन अवधि में कुल प्रमाणित उम्मीदवारों में से 50 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक और 75 प्रतिशत से कम या उसके बराबर प्लेस्ड होते हैं तो – ग्रेड 'बी'
 - यदि लक्ष्य आवंटन अवधि में कुल प्रमाणित उम्मीदवारों में से 50 प्रतिशत से कम प्लेस्ड होते हैं तो – ग्रेड 'सी'
- ग्रेड 'ए' प्रशिक्षण केंद्रों को संबंधित फंडिंग इकाई/फंडिंग विभाग द्वारा कार्य आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी जिसके बाद ग्रेड 'बी' केंद्रों के लिए कार्य आवंटन किया जाएगा। ग्रेड 'सी' केंद्रों के लिए आगे कार्य आवंटन या अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
- प्लेसमेंट के आधार पर ग्रेडिंग केवल उन्हीं केंद्रों के लिए लागू होगी जो लक्ष्य आवंटन अवधि में आवंटित लक्ष्य के मुकाबले 50 प्रतिशत नामांकन को पूरा करते हैं।
- वे प्रशिक्षण केन्द्र जो लक्ष्य आवंटन अवधि में आवंटित लक्ष्य के मुकाबले 50 प्रतिशत से कम के नामांकन को पूरा करते हैं, उनके लिए आगे कार्य आवंटन या अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा (जब तक कि संबंधित विभाग/बीएसडीएम द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए)।

यूनिफॉर्म

- वैसे कोर्स उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य, सिक्यूरिटी इत्यादि को छोड़कर इस योजना में यूनिफॉर्म के संबंध में कोई नियम वर्णित नहीं है।

भोजन एवं आवास

- यह नियम केवल आवासीय प्रशिक्षण के लिये लागू होगा एवं केवल प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए देय होगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- प्रशिक्षण के कुल दिनों की गणना हेतु प्रतिदिन 6 घंटे की न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि मानी जाएगी जिसके लिए भोजन और आवास राशि प्रदान की जाएगी।
- आवासीय प्रशिक्षण के लिए भोजन और आवास की राशि, वास्तविक लागत के आधार पर, किन्तु अधिकतम, नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन देय होगा—
 - कैटेगरी 'x' के शहरों/कस्बों में प्रति प्रशिक्षु रु. 375/— प्रति दिन।
 - कैटेगरी 'y' एवं पटना नगर निगम सीमा के शहरों/कस्बों में प्रति प्रशिक्षु रु. 315/— प्रति दिन।
 - कैटेगरी 'z' एवं अन्य नगर निगमों/नगरपालिका बोर्ड सीमाओं के शहरों/कस्बों में प्रति प्रशिक्षु रु. 250/— प्रति दिन।
 - नगर पंचायत सहित अन्य सभी क्षेत्रों में प्रति प्रशिक्षु रु. 220/— प्रतिदिन

नोट : उपरोक्त दरें देश में कहीं भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागू होंगी, जहां महिला प्रशिक्षुओं और विकलांग व्यक्तियों को निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने घरों से 80 किलोमीटर (या विशेष क्षेत्रों के मामले में 40 किलोमीटर) से अधिक की यात्रा करनी पड़ती हो और जो उनके लिए की गई भोजन और आवास व्यवस्था का लाभ उठा रहे हों।

स्टाइपेण्ड (Stipend)

- गंभीर रूप से निम्नांकित वंचित समूहों को छोड़कर, बीएसडीएम दिशानिर्देशों का पालन करने वाली योजनाओं के लिए स्टाइपेण्ड का कोई प्रावधान नहीं है।
 - भिखारी – रु. 100 / दिन
 - ठीक हुए कुष्ठ रोग और उनके आश्रितों के लिए – 30 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 800 रुपये प्रति माह
 - BBoCW बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक – अकुशल निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर या योजना के विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार
 - एचआईवी/एड्स रोगी – 30 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 800 रुपये प्रति माह

नोट:-

- प्रशिक्षण के कुल दिनों की गणना के लिए जिनके लिए स्टाइपेण्ड की राशि प्रदान की जाएगी, न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि 6 घंटे प्रति दिन मानी जाएगी।
- कोई भी उम्मीदवार जो स्वयं सहायता भत्ता का लाभ उठा रहा है, वह स्टाइपेण्ड के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही वह उपरोक्त गंभीर रूप से वंचित समूहों में से किसी एक के अंतर्गत आता हो।
- स्टाइपेण्ड के प्रावधान के लिए लागू श्रेणियों की सूची और संबंधित दरों को बीएसडीएम द्वारा आवश्यक समझे जाने पर या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर संशोधित किया जा सकता है।

एकमुश्त परिवहन लागत (One Time Transportation Cost)

- यह नियम केवल आवासीय प्रशिक्षण के लिये लागू होगा।
- आवासीय प्रशिक्षण के मामले में एकमुश्त परिवहन शुल्क वास्तविक लागत के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम राशि रु. 1000 होगी।
- उम्मीदवारों को उनके बैंक खाते के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाएगा।
- ऐसे मामलों के लिए जहां बीएसडीएम राज्य के बाहर आवासीय प्रशिक्षण की अनुमति देता है, बीएसडीएम वास्तविक लागत के आधार पर एकमुश्त परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति करेगा, जो प्रति प्रशिक्षु अधिकतम रु. 5000/- होगी।

कैरियर प्रोग्रेशन शुल्क (Career Progression Fees)

- कैरियर प्रोग्रेशन शुल्क (वैसे प्रशिक्षणार्थी के लिए जो प्रति माह 15,000 रुपये प्राप्त करता है और 1 वर्ष की ट्रेकिंग अवधि के भीतर कम से कम 3 महीने तक लगातार नौकरी पर हो।)
- रु. 5000 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की दर से कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को दिया जायेगा।
- केवल वेतन रोजगार वाले उम्मीदवारों के लिए।
- इस घटक का भुगतान उन सभी उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो 1 वर्ष की ट्रेकिंग अवधि के भीतर कम से कम 3 महीनों तक रु. 15000 का वेतन प्राप्त करते हैं।

विदेशों में प्लेस्ड उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा जांच सहित परामर्श सहायता

- रु. 10000 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की दर से कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को दिया जायेगा।
- विदेशों में प्लेस्ड वेतन रोजगार वाले उम्मीदवारों के लिए लागू।
- इस राशि का विपत्र उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए दिया जाएगा जिन्हें विदेश में नौकरी मिली हो और ज्वार्निंग के पश्चात् नौकरी में कम से कम 3 महीने पूरे कर लिए हों।

प्लेसमेंट इन्सेन्टिव (Placement Incentive)

- यदि किसी बैच का, वेतन रोजगार प्लेसमेंट दर (एक बैच में प्रमाणित उम्मीदवारों के आधार पर गणना), 80 से 85 प्रतिशत है तो – वेतन रोजगार में रखे गए प्रत्येक प्रमाणित प्रशिक्षणार्थी के लिये रु. 3000 की दर से कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को दिया जायेगा।
- यदि बैच वेतन रोजगार प्लेसमेंट दर 85 प्रतिशत से अधिक है, तो – वेतन रोजगार में रखे गए प्रत्येक प्रमाणित प्रशिक्षणार्थी के लिए रु. 5000 की दर से कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को दिया जायेगा।

पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट (Post Placement Support)

- केवल वेतन रोजगार के लिए लागू।
- विशेष क्षेत्रों/समूहों के लिए पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता (पीपीएस)।
- बिहार के संदर्भ में
 - विशेष क्षेत्र – गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र (एलडब्ल्यूई)।
 - विशेष समूह – इसमें महिलाएं, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार शामिल होंगे
- विशेष क्षेत्रों/समूहों (महिलाओं) के नए कुशल व्यक्तियों को वेतन रोजगार के तहत अपनी नई नौकरियों में बसने में सक्षम बनाने के लिए।

- प्लेसमेंट के बाद उम्मीदवार को निम्नलिखित अवधि के लिए 1500/- रुपये प्रति माह की दर से सीधे सहायता प्रदान की जाएगी।
 - निवास स्थान के जिले के भीतर नियुक्ति – पुरुषों के लिए 1 माह, महिलाओं के लिए 2 माह
 - अधिवास जिले के बाहर प्लेसमेंट – पुरुषों के लिए 2 महीने, महिलाओं के लिए 3 महीने
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पोस्ट प्लेसमेंट सहायता निम्नानुसार रू. 3000/- प्रति माह की दर से प्रदान की जाएगी
- पोस्ट प्लेसमेंट सहायता पुरुषों/महिलाओं के लिए रू. 3000/- प्रति माह
 - (i) अधिवास जिले के भीतर नियुक्ति – 2 महीने
 - (ii) निवास के जिले के बाहर लेकिन निवास के राज्य के भीतर नियुक्ति – 3 महीने
 - (iii) निवास के राज्य के बाहर नियुक्ति – 6 महीने

नोट – प्लेसमेंट की परिभाषा पूरी होने के बाद पात्र उम्मीदवार को राशि का भुगतान किया जाएगा।

मूल्यांकन एवं प्रमाणन का दर

- QP / NOS आधारित कोर्स : प्रचलित पाठ्यक्रम/एसएससी मूल्यांकन दर के अनुसार रू. 600 –1500/-
- इण्डस्ट्री / प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा निर्धारित कोर्स – इनको स्वयं वहन करना होगा।

केन्द्र निरीक्षण प्रपत्र

Centre Visit Report			
योजना / कार्यक्रम का नाम			
केंद्र का नाम:		केंद्र कोड:	
अंचल का नाम		: जिला	
निरीक्षण कर्ता का नाम		पदनाम:	
पोर्टल पर पता			

क्र.	जाँच विन्दु निरीक्षण के अनुसार उपलब्धता (हाँ/नहीं)	उपलब्धता (हाँ /नहीं/ संख्या)	यदि कोई टिप्पणी हो
1	दौरे के समय केंद्र खुला था		
2	दौरे के समय बैच चल रहा था		
3	केंद्र पोर्टल पर स्वीकृत पते पर चल रहा है		
4	कक्षा क्षेत्रफल की उपलब्धता मानक के अनुसार।		
5	प्रयोगशाला क्षेत्रफल की उपलब्धता मानक के अनुसार।		
6	स्वीकृत केंद्र समन्वयक मौजूद था।		
7	पोर्टल के अनुसार स्वीकृत शिक्षण सुविधा प्रदाता / TOT पास ट्रेनर, केंद्र में मौजूद हैं।		
8	प्रशिक्षण के समय मौजूद प्रशिक्षणार्थियों की संख्या।		
9	Prescribed बायोमैट्रिक डिवाइस की उपलब्धता		
10	अनियमितता या प्रतिनिधित्व रिपोर्ट, यदि कोई हो, कम से कम 10 उम्मीदवारों की सभी 10 उंगलियों की जांच के माध्यम से या अधिकतम।		
11	मानक सीसीटीवी / आईपी आधारित कैमरा की उपलब्धता और केंद्र में पिछले 7 दिनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है।		
12	पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता।		
13	संचालनशील एलसीडी / प्रोजेक्टर उपलब्ध है।		
14	ऊर्जा पूर्ववत् उपलब्धता: संचालन ऑनलाइन यूपीएस।		
15	इंटरनेट उपलब्ध है।		
16	आगंतुक रजिस्टर उपलब्ध है।		
17	पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।		
18	संचालनशील शौचालय उपलब्ध हैं		
19	स्वागत कक्ष उपलब्ध है।		
20	विभाग, बीएसडीएम या किसी अन्य विनियामक संगठन द्वारा अनिवार्य रूप से आवश्यक चिन्ह / बैनर स्थान पर हैं।		
21	केंद्र से समग्र रूप से संतुष्ट		

सत्यापन अधिकारी का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

एसडीसी प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

*महत्वपूर्ण निर्देश:

1- कृपया सत्यापित एसडीसी रिपोर्ट को सत्यापन से पहले डाउनलोड करें

2- प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पोर्टल पर अपलोड किए गए एक्सेल फ़ाइल के साथ टूल और उपकरण सत्यापित करें।

प्रमाणपत्र का नमूना

Certificate Certificate No. _____



SCVT
State Council for
Vocational Training

Bihar Skill Development Mission
Department of Labour Resources
Government of Bihar.



Bihar Skill Development Mission

Recruit - Train - Deploy - (RTD)

This is to certify that

Mr./Ms
Son/Daughter/Wife of.....
UID No.
Registration No.
has successfully completed the Training
Course....., approved by SCVT, Bihar
Under Recruit Train Deploy Programme
in collaboration with
from to



Authorised Signatory
Training Partner
Bihar, Patna



Authorised Signatory
Bihar Skill Development Mission,
Department of Labour Resources,
Bihar, Patna.



Authorised Signatory
State Council for
Vocational Training, Bihar.

Centre Code